

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

17 / 2020  
16-1-2020

लड्डु पुत्र श्योराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम-झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक  
राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 11-12-2019 मिसल नम्बर 1021/2019

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 11-12-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1190/455 रकबा 2.60 है०, वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द, मक्का व बाजरा की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से वेदखल करने 360/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलवी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, जबकि उक्त विवादित भूमि पर जो पेनल्टी कायम की है वह भी अपीलान्ट द्वारा जमा करवा दी गई। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ कमशः वेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानून




इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1190/455 रकबा 2.60 है०,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उडद,मक्का व बाजरा की फसल काशत की है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1391/19 निर्णय दिनांक 12-2-2016 से वेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1190/455 रकबा 2.60 है०,वाके ग्राम झुण्डवा पर अतिक्रमण कर उडद,मक्का व बाजरा की फसल काशत की है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने सम्बत 2072 में उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूरजका व सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1391/2016 निर्णय दिनांक 12-3-2016 से वेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 11-12-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक